यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपनिबंधक**, **फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स**, **हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उपनिबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, हल्द्वानी 05/2002 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल एवं श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2018 से 31.08.2018 तक श्री नीरज चंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री डी मुखर्जी, पर्यवेक्षक द्वारा 10.05.2002 से 16.05.2002 तक श्री राम सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 05/1996 से 04/2002 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2002 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- कुमायूं

(ii)(अ)विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	36.50	30.13	7.83	6.88	-	07.32
2016-17	-	-	38.30	31.43	7.21	6.67	-	07.41
2017-18	-	-	35.58	30.13	8.75	6.52	-	07.68
2018-19 (जून 2018 तक)	-	-	37.50	12.52	6.50	1.77	-	-

(ब) Autonomous Bodiesविगततीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति: निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण:- **शून्य**

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई “सी” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उप निबंधक
सहायक निबंधक
प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उपनिबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपनिबंधक, फर्म्स, सोसाइटिस एवं चिट्स, हल्द्वानी** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **03/2014**, **03/2017**, **05/2007**, **03/2002**, **03/2014**, **03/2016**, **08/2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी.एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

शून्य

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1 : 449 पंजीकृत सोसाइटी से लम्बित नवीनीकरण शुल्क ₹4.49 लाख।

निबन्धक/उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी से सूचना मंगाने, सोसाइटी के अभिलेखों की जांच तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने की शक्तियां प्राप्त हैं। उप निबंन्धक/सहायक निबंधक को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 तथा इंडियन पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के प्राविधानों के अन्तर्गत सोसाइटी तथा फर्मों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त उन्हें पंजीकृत करते हुए पंजीकृत प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्तियां प्राप्त थी। इसकेसाथ ही सोसाइटी द्वारा नियमानुसार नवीनीकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त पांच साल की आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करके नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति भी प्राप्त थी।

कार्यालय के अभिलेखो की जाँच में पाया गया कि नवीनीकरण से संम्बन्धित शुल्क में वृद्धि किए जाने के आदेश 07/2015 द्वारा जारी किया गये थे, उक्त के अनुसार नवीनीकरण शुल्क ₹400 से ₹1000 कर दिया गया था। कार्यालय के रजिस्ट्रेशन पंजिका के अनुसार वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि मे 937 सोसाइटी पंजीकृत की गयी थी लेकिन 05 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त मात्र 488 पंजीकृत सोसाइटी द्वारा नवीनीकरण कराया गया, जिन का वर्षवार विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है।

वर्ष	कुल पंजीकृत	नवीनीकरण	अवशेष	नवीनीकरण शुल्क	अवशेष नवीनीकरण शुल्क
1	2	3	4	5	5X4
2008-09	148	71	77	1000	77000
2009-10	172	91	81	1000	81000
2010-11	204	107	97	1000	97000
2011-12	177	105	72	1000	72000
2012-13	236	114	122	1000	122000
योग	**937**	**488**	**449**		**₹449000**

अभिलेखों में देखा गया कि इन 449 नवीनीकरण प्रकरणों में कार्यालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। कार्यालय को प्रश्नगत समितियों के कार्यशील होने या न होने की जानकारी भी नहीं है। जबकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अनुसार उप निबन्धक समितियों का अनुश्रवन एवं भौतिक सत्यापन, नोटिस जारी, शपथ पत्र के

अनुसार समितियों के किसी अधिकारी सदस्य अथवा कर्मचारी का परीक्षण करने के लिए उन्हे बुलाया जा सकता है।

उपरोक्त के सम्बंध में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि इस संबंध में अनुपालन कर दिया जाएगा। उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि कार्यालय द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अनुसार समितियों पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

अत: 449 पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण शुल्क ₹4.49 लाख लम्बित होने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: फोटो स्टेट मशीन का निष्प्रयोज्य रहना ₹ 59,330।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार

- "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा
- नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि "Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय में स्थित फोटो स्टेट मशीन लागत ₹ 59330 पिछले 6 माह से निष्प्रयोज्य अवस्था में थी जिस का न तो ठीक किया गया था और न ही उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि मशीन को कई बार ठीक कराने का प्रयास किया गया, किन्तु मशीन ठीक नहीं हो पायी। उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि कार्यालय द्वारा उपरोक्त नियम अनुसार कोई कार्यवाही सुनिश्चित नही की गयी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2: कार्यालय में आवश्यक पदों का रिक्त रहना।

कार्यालय में Manpower Deployment की समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वीकृत नियतन के सापेक्ष कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति, एवं तत्संबंधी रिक्तता निम्नवत थी:

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत नियतन	कार्यरत	रिक्तता
1	प्रधान सहायक	01	NIL	01
2	चिट ऑडिटर	01	NIL	01
3	आशुलिपिक	01	NIL	01
4	कनिष्ठ सहायक	02	NIL	02
5	चौकीदार	01	NIL	01

कार्यालय द्वारा मुख्यालय को दिनाँक 05/12/2017 को पत्रांक 1221/फ.सो.चि./हल्द्वानी के माध्यम से लिपिकीय कार्मिक एवं चौकीदार की माँग की गयी थी तथा दिनाँक 20/12/2014 को पत्रांक 1096/फ.सो.चि./हल्द्वानी के माध्यम से चौकीदार की माँग की गयी थी, जो कि मुख्यालय द्वारा पूरी नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त कार्यालय में अति महत्वपूर्ण चिट ऑडिटर का पद भी रिक्त था, जिसका कार्य मुख्य रूप से तकनीकी कार्य का संचालन जैसे कि सोसाइटी की बैलेन्स शीट इत्यादि की समीक्षा करना था उक्त पद के रिक्त होने के कारण सोसाइटी की बैलेन्स शीट की जाँच कार्यालय द्वारा नहीं की जा रही है।

उपरोक्त के संबंध में इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि चिट ऑडिटर की मांग मुख्यालय से की जा रही है तथा वर्तमान में बैलेन्स शीट CA द्वारा जाँची जाती हैं तथा अन्य रिक्तियों के संबंध में भी मुख्यालय से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि कार्यालय में महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 ‘अ‘ प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 ‘ब‘ प्रस्तर संख्या**	**STAN**
88/2002-03	1	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
88/2002-03	**भाग दो ‘अ’ 1** **भाग दो ‘ब’ 1**	**अनुपालन महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया**	**अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रस्तर यथावत रखे जाते हैं**	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

सा.क्षे./ले.प.प्रति.26-2018-19

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **उपनिबंधक**, **फर्म्ससोसाइटिस एवं चिट्स ,, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री बी. डी. पांडेय	उप निबंधक	31.7.2001	11.12.2003
2	श्री बी. सी. तिवारी	उप निबंधक	11.12.2003	14.09.2004
3	श्री एम. सी. जोशी	उप निबंधक	14.09.2004	15.09.2008
4	श्रीमति आभा गर्ब्याल बोहरा	उप निबंधक	16.09.2008	12.10.2011
5	श्रीमती रुचिता तिवारी	उप निबंधक	13.10.2011	30.11.2015
6	श्री पी. सी. जोशी	उप निबंधक	01.12.2015	12.11.2017
7	श्रीमती शिवानी पांडेय	उप निबंधक	31.11.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उपनिबंधक**, **फर्म्ससोसाइटिस एवं चिट्स ,, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र